कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 159 दिनांकः– 06/2/18

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत पलामू जिला के सदर अंचल मेदिनीनगर के ग्राम पोखराहा खुर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 350 दिनांक 30.01.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रयोजन हेतु कुल 4.04 हे0 (जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की पूर्ण जाँच के क्रम में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ परिलक्षित हुई है :–

1. यह प्रस्ताव गैर स्थल विशिष्ट परियोजना है, इसे कहीं भी निर्माण किया जा सकता है। वनभूमि में ही विद्यालय की स्थापना का औचित्य क्या है?
2. प्रस्ताव के साथ विद्यालय निर्माण हेतु ग्राम सभा/आम सभा की Resolution की प्रति संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ Geo-referenced digital plan in Shape File संलग्न नहीं है।
4. प्रस्थाव के साथ संलग्न मौजा मैप पर विद्यालय निर्माण का स्थल नहीं दर्शाया गया है।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Total break up of land संलग्न नहीं है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना असंभव है। अनुरोध है कि कमियों का निराकरण कर अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं भविष्य में ऐसे अधूरे प्रस्ताव इस कार्यालय में नहीं भेजे जाय। इस हेतु आपको बार–बार निदेशित किया जा चुका है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

06.02.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

6.2.18

D:\SUNIL\Proposal (K)\Poltechnique, School\Kendriye Vidhyalaya (4.04 ha).doc